भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 587

उत्तर देने की तारीख : 07.02.2022

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र का पुनरुद्धार

587. श्रीमती फूलो देवी नेतम :

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2014 से अब तक वार्षिक तौर पर कितने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम पंजीकृत किए गए हैं और कितने ऐसे उद्यम बंद हुए हैं;

(ख) क्या सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कोई वर्धित वित्तीय प्रोत्साहन नीति बनाई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) वर्तमान में राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम कार्यशील है और कितने ऐसे उद्यम बंद पड़े हैं;

(ङ) क्या सरकार कोविड-19 महामारी के कारण सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों में बंद होने से प्रभावित व्यक्तियों को रोजगार, राजसहायता और वित्तीय मुआवजा प्रदान करने की योजना बना रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री

(श्री नारायण राणे)

(क): एमएसएमई के लिए पंजीकरण हेतु, भारत सरकार ने 1 जुलाई, 2020 को उद्योग आधार ज्ञापन (यूएएम) की पूर्ववर्ती प्रणाली को उद्यम पंजीकरण (यूआर) से प्रतिस्थापित कर दिया है। उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2020-21 (1 जुलाई, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक) के दौरान कुल 28,63,355 वर्गीकृत एमएसएमई पंजीकृत किए गए थे और वित्त वर्ष 2021-22 में 02.02.2022 तक के दौरान 40,94,681 वर्गीकृत एमएसएमई पंजीकृत थे।

(ख) और (ग): सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के संवर्धन और विकास के उद्देश्य से विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करता है। इन योजनाओं/कार्यक्रमों में अन्य बातों के साथ-साथ वित्तीय सहायता शामिल है। इन योजनाओं में कुछ कार्यक्रमों में सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई), प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), पारंपरिक उद्योगों के पुनरूद्धार के लिए निधि योजना (स्फूर्ति) और सूक्ष्म और लघु उद्यम-क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी) आदि शामिल हैं।

(घ) : उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 (1 जुलाई, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक) के दौरान कुल 28,63,355 वर्गीकृत एमएसएमई पंजीकृत थे और वित्त वर्ष 2021-22, 02.02.2022 तक के दौरान 40,94,681 वर्गीकृत एमएसएमई पंजीकृत थे। चूंकि एमएसएमई औपचारिक और अनौपचारिक दोनों क्षेत्रों में विद्यमान है, एमएसएमई के स्थायी अथवा अस्थायी रूप से बंद होने के संबंध में आंकड़े भारत सरकार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय में नहीं रखे जाते हैं।

(ङ) और (च): भारत सरकार ने अर्थव्यवस्था, विशेष रूप से एमएसएमई क्षेत्र को सहायता प्रदान करने के लिए आत्मनिर्भर भारत के तहत कई उपायों की घोषणा की। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ (i) दबाबग्रस्त एमएसएमई के लिए 20,000 करोड़ रुपए का अधीनस्थ ऋण; (ii) एमएसएमई निधियों की निधि (एसआरआई फंड) के माध्यम से 50,000 करोड़ रुपए का इक्विटी समावेशन; (iii) एमएसएमई सहित व्यवसाय के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का आकस्मिक क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) (जिसे बाद में 5 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ा दिया गया है); (iv) एमएसएमई के लिए नई परिभाषा; (v) 200 करोड़ रुपए तक की सरकारी खरीद के लिए कोई वैश्विक निविदा नहीं होगी।

*****